देश की क्रम और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।
आर0ई0 वाद सं0– 17/2017–18
आवेदक– आनन्दी वाला वेवा वगै0
बनाम्
विपक्षी– गुदड़ शेख
आदेश

07/07/2017

आवेदिका द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के अवलोकन करने एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने से प्रतीत होता है कि विपक्षी के द्वारा किये गये अवैध दखल से उच्छेद कराना चाहती है। आवेदिका के आवेदन से संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग की गई एवं आवेदन पत्र में अंकित बिन्दुओं की जाँच हेतु अंचल अधिकारी, उधवा को भेजा गया।

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	ज0नं0	दाग नं0	रकवा
सरफराजगंज	536	561	18 कट्ठा 15 धूर

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदिका के पति स्व0 शिवशंकर स्वर्णकार ने अपने जीवन काल में मौजा सरफराजगंज जमाबंदी नं0 536 दाग नं0 561 रकवा 18 कट्ठा 15 धूर, जमाबंदी नं0 83 दाग नं0 190 रकवा 09 कट्ठा 01 धूर तथा दाग नं0 191 रकवा 10 कट्ठा 06 धूर जमीन निबंधित केवाला सं0 4346/72 दिनांक 26.07.1972 के द्वारा विपक्षी गुदड़ शेख पे0– स्व0 कालू शेख सा0 फुदकीपुर गोहलबाडी से क्रय कर प्राप्त किया है तथा गुदड़ शेख ने उपरोक्त जमीन निबंधित केवाला सं0 1488 दिनांक 07.04.1967 के जरिये जमीदार शेख से खरीद कर प्राप्त किया था, जो शिवशंकर स्वर्णकार के खरीदगी केवाला नं0 4346/72 के रिसायटल में वर्णित है। शिवशंकर स्वर्णकार ने अपने नाम से खरीदगी उपरोक्त तीनों दागों की क्रय की गई जमीन में से दाग नं0 190 का रकवा 09 कट्ठा 01 धूर तथा दाग नं0 191 रकवा 10 कट्ठा 06 धूर जमीन अपने आवश्यक कार्य एवं सांसारिक खर्च के लिए सन् 1975 में रासेदा बीबी के पास बिक्री कर दिया था अवशेष बचे जमीन तथा दाग नं0 561 का कुल रकवा 18 कट्ठा 15 धूर जमीन आवेदिका के पास रहा। जिसे चास आबाद करने के लिए विपक्षी गुदड शेख को बंटाई पर दिया और गुदड शेख ने उक्त भूमि में खेती कर शिवशंकर स्वर्णकार को उनके जीवन काल तक उपज देते रहे। शिवशंकर स्वर्णकार की अचानक बिमारी के कारण आकस्मिक मृत्यू सन् 1988 में हो गई और वह अपने पीछे पत्नी एवं पुत्र पुत्री को छोड गये। उस वक्त शिवशंकर स्वर्णकार के बच्चे सब नाबालिग थे और उनकी पत्नी भी घर से बाहर नहीं जाती थी। इसलिए विपक्षी ने गलत मनसा से उक्त भूमि को अवैध रूप से दखल कर लिये और आवेदिका को कोई फसल नहीं देने लगे। विपक्षी ने पूर्व में खरीदगी केवाला के द्वारा मौजा सरफराजगंज जमाबंदी नं0 536 दाग नं0 561 का रकवा 18 कट्ठा 15 धूर जमीन पंजी II में दर्ज करा लिए। विपक्षी ने उक्त जमीन बिक्री करके अपना अधिकार खो चुका है। इसके बावजदु विपक्षी के द्वारा नामान्तरण करा लिया है जो नियम विरुद्ध है। नोटिस तामिला के बावजुद विपक्षी न्यायालय में स्वय अथवा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष नही रखा है। आवेदिका ने इस वाद की सुनवाई

1/MJ/17/2456

Scanned with CamScanner

निविष्ट वाद के अन्तर्गत करने की प्रार्थना दिनांक 17.08.17 को की है। विपक्षी इस वाद में किसी भी प्रकार की आपत्ती नहीं ले रहा है। फलस्वरूप एक पक्षीय सुनवाई किया गया।

अंचल अधिकारी, उधवा ने अपने पत्र सं0 203/रा0, दिनांक 07.06.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा सरफराजगंज जमाबंदी नं0 536 दाग नं0 561 रकवा 18 कट्ठा 15 धूर जमीन गुदड शेख पे0 कालू शेख सा0 नीजग्राम के नाम से पंजी II में दर्ज है। निबंधित केवाला सं0 4346 दिनांक 26.07.1973 के द्वारा गुदड शेख अपने नाम का दाग नं0 190,191 एवं 561 कुल रकवा 01 बीघा 18 कट्ठा 02 धूर जमीन आवेदिका के पति शिवशंकर स्वर्णकार पे0– ठाकुर प्रसाद स्वर्णकार के पास बिक्री किया गया है। शिवशंकर स्वर्णकार की मृत्यू होने के पश्चात उनकी पत्नी उक्त भूमि का दखलकार हुई। आवेदिका अपनी चिकित्सा हेतु एक–दो वर्ष बाहर चली गई। इस दौरान गुदड शेख ने आवेदिका के पति के पास बिक्री की गयी जमीन दाग नं0 561 रकवा 18 कट्ठा 15 धूर जमीन पुनः दखल कर लिया। आवेदिका अपने घर आने पर गुदड शेख को उक्त भूमि छोडने को कहा गया तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया कि मैं जमीन बिक्री नहीं किया हूँ। जबकि उक्त भूमि का बिक्री का प्रमाण निबंधित केवाला आवेदिका के पास मौजूद है। वर्तमान में आवेदिका की जमीन गुदड शेख ने दखल कर रखा है। आवेदिका को उक्त भूमि दखल नहीं दे रहा है। जाँच प्रतिवेदन उचित कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ है।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है

(1) निबंधित केवाल सं0 4346 विक्रेता गुदड शेख पे0 कालु शेख सा0 फुदकीपुर गोहालबाडी, क्रेता शिवशंकर स्वर्णकार सा0 उधवा मौजा सरफराजगंज दाग न0 190,191 एवं 561 कुल रकवा 1 बी0 18 क0 02 धुर जमीन बिक्री किये गये निबंधित केवाला की छाया प्रति।

(2) अंचल अधिकारी, उधवा के ज्ञापांक 217/रा0 दिनांक 04.07.2016 के द्वारा उभय पक्षो को प्रेषित किये गये नोटिश की छाया प्रति।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल कागजात तथा अंचल अधिकारी,उधवा के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि :–

(1) मौजा सरफराजगंज ज0न0 536,दाग न0 561 रकवा 18 कट्ठा 15 धुर जमाबंदी न0 83 दाग न0 190 रकवा 09 कट्ठा 01 धुर एवं दाग न0 191 रकवा 10 कट्ठा 06 धुर जमीन आवेदिका के पति शिवशंकर स्वर्णकार ने विपक्षी गुदड़ से निबंधित केवाला सं0 4346/26.07.1973 के क्रय कर प्राप्त किया है।

(2) आवेदिका के पति ने क्रय की गई जमीन में से ज0न0 83, दाग न0 190 रकवा 09 कट्ठा 01 धुर एवं दाग न0 191 रकवा 10 कट्ठा 06 धुर जमीन रासेहा बीबी के पास निबंधित दस्तावेज के द्वारा बिक्री करने के पश्चात उनके पास दाग न0 561 रकवा 18 कट्ठा 15 धुर जमीन अवशेष बचा। जिस पर वे विपक्षी से बटाई पर खेती करने लगे।

(3) आवेदिका का दावा है कि उनके पति के जिवित काल तक उक्त कार्यवाही वाली जमीन के उपज का आधा अंश प्राप्त होता रहा है लेकिन उनके पति के मृत्य के पश्चात विपक्षी ने बटाई देना बंद कर दिया एवं उक्त जमीन को अवैध ढंग से दखल करते हुए अपने द्वारा उक्त जमीन की ब्रिक्री की बात छुपाकर कार्यवाही वाली जमीन का नामान्तरण विपक्षी ने अपने नाम से करा लिया है।

(4) आवेदिका का दावा है कि उनके पति के मृत्य के समय उनके बच्चे छोटे छोटे थे एवं वे स्वंय परदा नसीन थी जिसके कारण वे अपने पति के द्वारा क्रय की गयी

09/7/2

Scanned with CamScanner

जमीन का नामान्तरण नही करा सकी थी।

उपर्यूक्त तथ्यो पर सम्यक विचारोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि उक्त प्रश्नगत भूमि वादी की खतियानी भूमि नही है बल्कि खरीदगी भूमि है। जिस पर संथाल परगना काश्तकारी(अनुपूरक प्रावधान) अधिनियम 1949 की धारा 42 के अन्तर्गत कार्यवाई आपेक्षित नही है। भूमि आवेदिका के पति ने विपक्षी से क्रय कर विधिवत प्राप्त किया है। तथा क्रय की गयी जमीन मे से अंश रकवा की ब्रिक्री भी कर चुके है। अवशेष बचे दाग न0 561 की जमीन रकवा 18 कट्ठा 15 धुर जमीन आवेदिका के पति के मृत्य के पश्चात विपक्षी ने दखल कर लिया है तथा अपने नाम से नामान्तरण कराकर पंजी ii में अपना नाम का इन्द्राज करा लिया है। विपक्षी के इस व्यवहार के कारण सार्वजनिक शांति भंग की संभावना है विपक्षी को प्रयाप्त समय दिये जाने के बावजुद उन्होने अपना पक्ष नही रखा है जो उनके मनमाने रवैये को परिलक्षित करता है। अंचल अधिकारी, उधवा, विपक्षी के द्वारा निष्पादित निबंधित केवाला के आधार पर आवेदन प्राप्त होने की दशा में आवेदिका के पक्ष में नामान्तरण की प्रक्रिया विधिवत प्रारम्भ करेगें।
आदेश की प्रति अंचल अधिकारी,उधवा एवं थाना प्रभारी राधानगर को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

09/12

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

09/12

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

Scanned with CamScanner